



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

e-mail- ds.02b@uppcl.org



संख्या: 167-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2025-प्रोन्नति(02ब)/2024-25

दिनांक : 26/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)/SAP ID/अभिज्ञान सं०/वरिष्ठता कमांक/जन्मतिथि/से०नि० तिथि/गृह जनपद	सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती कार्यालय/निगम	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अंकुर सिंह/11000295/ 2016275/-/22.02.1991/ 28.02.2051/हाथरस	सहायक अभियन्ता, कल्याणपुर डिवीजन, कानपुर नगर, केस्को लि०।	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०


- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।
- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञाप सं०-2900-प्रशि०-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2777-ज०श० प्र०सु० एवु प्रशि०-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में प्रोन्नत उपरोक्त अधिकारी की Joining/Relieving ई०आर०पी० प्रणाली पर ही किया जाना है।
- प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार तैनाती प्रदान की जाय।
- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं०-4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

अध्यक्ष

संख्या: 167 (1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल, वाराणसी/मध्यान्चल, लखनऊ/दक्षिणान्चल, आगरा/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3- अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
- 5- मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8- उप सचिव, ज0श0 प्रशि0 एवं प्रशा0सु0/गोपन/अ0प्र0-(03/04)/अ0प्र0-07 उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 9- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (02ब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन (ई-मेल-ds.02b@uppcl.org) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई-मेल-ao.vetanlekha@uppcl.org) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 11- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार यादव)
उप सचिव (02ब)